(331)

संख्या–370/XLI-1/2011–प्रशि0–709/04

प्रेषक,

एस0राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 23 दिसम्बर, 2011

विषयः– राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रिखणीखाल (पौड़ी) के आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पूर्व पत्र संख्या–5275–76/डीटीईयू/भवन/0450/रिखणी/अमोठा/2011, दिनांक 13.05.2011 तथा परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम श्रीनगर के पत्र संख्या–2008/लेखा–5/44, दिनांक 07.12.2011 एवं शासनादेश संख्या–1969/VIII/06–709–प्रशि0/2004, दिनांक 05.03.2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रिखणीखाल के आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण हेतु अनुमोदित आगणन ₹115.57 लाख के सापेक्ष अवमुक्त ₹20.00 लाख की धनराशि को समायोजित करते हुये देय अवशेष ₹95.57 लाख में से अगली किश्त के रूप में ₹60.00 लाख (रूपये साठ लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत करते हुये व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. स्वीकृत धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा कर कार्य में शीघ्रता लाते हुये समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय। विलम्ब के कारण आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

4. व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है, साथ ही उक्त उल्लिखित पूर्व शासनादेश में निर्धारित प्रतिबन्ध एवं शर्तो का पूर्णतः पालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिये सम्बन्धित निर्माण संस्था उत्तरदायी होगी।

6. कार्य कराते हुये वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल एवं तद्विषयक समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. शासनादेश संख्या–1969/VIII/06–709–प्रशि0/2004, दिनांक 05.03.2007 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।

8. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–16 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक–4216–आवास पर पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य–00–आयोजनागत–001–निदेशन तथा प्रशासन–07–राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण–24–वृहत निर्माण कार्य मद" के नामें डाला जायेगा।

9. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011 दिनॉक 31.03.2011 में निहित व्यवस्था एवं दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0राजू)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनॉक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, पौड़ी।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पौड़ी।
6. परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम श्रीनगर।
7. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल।
8. वित्त अनुभाग–5/नियोजन अनुभाग।
9. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
अनु सचिव।